दैनिक भास्कर 04-08-2026

की अगुआई में ज्यादातर
जबकि फार्मा शेयरों में
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड
रहने के लिए रिस्की है।
हेड, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स

ड्रिंक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि ये कंपनियां बिना अनुमति वाले फ्लेवरिंग प्रैक्टिस अपना रही हैं। पुरानी शराब संबंधी दावे भी भ्रामक हैं। ये नियमों का उल्लंघन है। प्रोडक्ट्स को 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' या 'व्हिस्की-फ्लेवर्ड स्पिरिट' बताना चाहिए, न कि मानक रम या व्हिस्की। नियामक ने स्पष्ट किया कि कॉफी या वैनिला जैसे अनुमत फ्लेवर पर रोक नहीं है, पर उसी पेय का फ्लेवर मिलाना और गुमराह करना गलत है। न्यूट्रल स्पिरिट था, जबकि मैच्योर्ड रम 5% से भी कम। यह नियमों के खिलाफ है। नियामक ने मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनब्रू बेवरेजेज, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज के विशिष्ट प्रोडक्ट्स बिक्री पर रोक लगा दी है।

जो जून में 54.2 पर था। यह अगस्त 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। एचएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी के मुताबिक नए बिजनेस ऑर्डर्स की रफ्तार चार साल में दूसरी सबसे कमजोर रही।

...क लेने की तैयारी

प्रस्ताव सिर्फ बड़े मर्चेंट्स है। आम ग्राहकों से यूपीआई न पर कोई शुल्क नहीं लिया जनवरी 2020 में सरकार टल पेमेंट्स को बढ़ावा देने यूपीआई पर एमडीआर खत्म था। इसकी वजह से इसका तेजी से बढ़ा। अब देश डिजिटल लेनदेन में करीब हिस्सा अकेले यूपीआई का है, महीने 2,300 करोड़ से ज्यादा और करीब ₹30 लाख करोड़ यू प्रोसेस करता है।

अब ग्राहकों के पैसे से नहीं होंगे कंपनी के अधिग्रहण

नई दिल्ली | बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों में मालिकाना हक के नियमों को सख्त कर दिया है। अब कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर बार-बार मंजूरी लेनी होगी। कोई भी निवेशक जैसे ही 5%, 10%, 25%, 50% या 75% हिस्सेदारी की सीमा पार करने लगेगा, उसे शेयर खरीदने से पहले नियामक की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कंपनी में सबसे बड़ा एकल शेयरधारक बनने और ग्रुप के भीतर शेयर ट्रांसफर पर भी यह नियम लागू होंगे। ये नए नियम बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, पूंजी और शेयर ट्रांसफर समेत 7 मुद्दों पर लागू होंगे। कंपनियों के मर्जर के लिए प्रमोटर के पास 50% शेयर होना जरूरी है। वहीं, मर्जर या कर्ज चुकाने के लिए पॉलिसीधारकों के पैसों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

ग्राहकों का पैसा सुरक्षित, आईपीओ लाना भी आसान

नांगिया ग्लोबल के एसोसिएट पार्टनर मयंक अरोड़ा और ईवाई इंडिया की टैक्स पार्टनर चैत्राली कामत के मुताबिक, बीमा कंपनियों को किसी अन्य कंपनी को खरीदने लेने के लिए ग्राहकों के पैसों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसलिए कंपनियां नकद भुगतानों के बजाय अपने शेयरों की अदला-बदली करके ऐसा करेंगी। इससे पर्याप्त कैश रहेगा।

...ॉर्पोरेशन लिमिटेड

...माल पटियाला-147001
...बसाइट : www.pspcl.in
...6461-17659
...795 दिनांक : 30-07-2026
...LehraMohabbat- 151111
...MC और C&I सर्कल के संबंध में
...अनुसार। डिटेल्ड NIT और टेंडर
...को शाम 5:00 बजे से
...जानकारी है, तो उसे
...किया जाएगा।
GHTP-61/26

...जिला ग्वालियर (म0प्र0)

... ग्वालियर, दिनांक 03/08/2026

...लश्कर जिला ग्वालियर द्वारा बिना मंडी ...65 क्विंटल लगभग मूंगफली दाना नग ...न 1972 की धारा 23 के प्रावधान के ... गई उक्त मूंगफली की नीलामी दिनांक ... समिति लश्कर मे की जायेगी। बोली मे

...तम शासकीय ... प्रति क्विंटल	धरोहर राशि
8500/-	50,000/-

...चास हजार रूपये) नगद / बैंक ड्राफ्ट ...न देय जमा करना अनिवार्य होगा धरोहर

...वेदन पत्र के साथ अपना जीवित लायसेंस ...ति सत्यापित कराकर बोली से पूर्व मंडी

...पूर्ण राशि मंडी कार्यालय लश्कर मे जमा ...रित समय अवधि तक राशि जमा न करने ...जायेगी।
...की सम्पूर्ण राशि जमा की जाने पर दूसरी ...दिया जावेगा।
...निर्णय अंतिम होगा जो सभी को मान्य होगा ...।

(केदारलाल धाकड)
प्रभारी सचिव
...पज मंडी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

आइये, एक बेहतर जीवन बनायें। www.centralbankofindia.co.in Build a better life around us.

Regional Office : Naka Chandrawadni Chauraha, Infront of Govt. Polytechnic College, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) - 474009 Ph. : 0751-2402020, 2402021, Fax : 0751-2402022

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

चल/अचल संपत्ति का विक्रय नोटिस (ई-नीलामी दि. 24-08-2026)

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी-प्रभारित है, का कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को जहां है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है एवं दायित्व रहित के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 24-08-2026 को बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

शाखा	उधारकर्ताओं का नाम	बंधक/पट्टेदार धारक (धारकों) की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	मांग नोटिस का दिनांक/ कब्जा दिनांक	रिजर्व (आरक्षित) मूल्य रु.	अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) रु.	बोली वृद्धि
बामोर जिला मुरैना	मे. एस.पी. प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पता- प्लॉट नं. आर-11, स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया, बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) - 476444 1. श्री राजेश दुबे पुत्र श्री रामनारायण दुबे, निवासी- आनंद नगर, नवग्रह मंदिर के पास, बहोड़ापुर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)-474008 2. श्री प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता निवासी- सरगज कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)-474008 3. मे. माँ रामश्री एग्रो इन्फ्रा पता- झाँसी रोड, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) -475110 द्वारा पार्टनर्स- (ए) श्री मोहन लाल भूटानी पुत्र श्री रामरंग भूटानी (19.03.2020 को मृत्यु) स्व. श्री मोहनलाल भूटानी पुत्र श्री रामरंग भूटानी के वारिसान i) श्री रंजन भूटानी पुत्र स्व. मोहन लाल भूटानी निवासी- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 ii) श्री राकेश भूटानी पुत्र स्व. मोहनलाल भूटानी निवासी- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 iii) श्री सुशील भूटानी पुत्र स्व. मोहनलाल भूटानी निवासी- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 iv) श्रीमती किरण पत्नी स्व. मोहन लाल भूटानी निवासी- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 (बी) श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सियाराम गुप्ता @ श्री सियाशरण गुप्ता निवासी- महावीर कॉलोनी, बल्ला का डेरा, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)-475110 4. श्री रंजन भूटानी पुत्र श्री मोहन लाल भूटानी निवासी- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 निवासी- एल-219, मकान नं. 211/250 रिषी नगर, रानी बाग, न्यू देहली-110034 5. श्री राकेश भूटानी पुत्र श्री मोहन लाल भूटानी पता- बी-53, रिषी नगर, कैप्टन सतीश मार्ग रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034 6. श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी- महावीर कॉलोनी, बल्ला का डेरा, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)-475110	अचल संपति- (ए) साम्य बंधक व्यवसायिक संपति, क्षेत्रफल 0.110 हेक्टेयर स्थित ग्राम मगरौरा पटवारी हल्का नं. 50, सर्वे नं. 553/3 का भाग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर-475110 श्री रंजन भूटानी पुत्र श्री मोहन लाल भूटानी के नाम, रजिस्टर्ड सेल डीड वॉल्यूम नं. 5835, डॉक्यूमेंट नं. 7984, दिनांक 29.03.2011, रजिस्टर्ड सब/जॉइंट रजिस्ट्रार डबरा (म.प्र.) के अनुसार चतुर्सीमाएं - पूर्व में- ग्वालियर-झाँसी रोड, पश्चिम में- श्रीमती रचना गुप्ता की भूमि, उत्तर में- श्री राधे गुप्ता की भूमि, दक्षिण में- 10 फीट रास्ता (कच्चा) (बी) साम्य बंधक व्यवसायिक संपति, क्षेत्रफल 0.098 हेक्टेयर स्थित ग्राम मगरौरा, पटवारी हल्का नं. 50, सर्वे नं. 553/2 एवं 553/3 का भाग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर-475110, श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सियाराम गुप्ता @ श्री सियाशरण गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड वॉल्यूम नं. 5835, डॉक्यूमेन्ट 7985, दिनांक 29.03.2011, रजिस्टर्ड सब/जॉइंट रजिस्ट्रार डबरा (म.प्र.) के अनुसार चतुर्सीमाएं - पूर्व में- ग्वालियर-झाँसी रोड, पश्चिम में- श्रीमती रचना गुप्ता की भूमि, उत्तर में- श्री मनोज गुप्ता की भूमि, दक्षिण में- श्री रंजन भूटानी की भूमि। (सी) साम्य बंधक व्यवसायिक संपति, क्षेत्रफल 0.840 हेक्टेयर स्थित ग्राम मगरौरा पटवारी हल्का नं. 50, सर्वे नं. 556/मिन, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर-475110, श्री मोहन लाल भूटानी पुत्र श्री रामरंग भूटानी एवं श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सियाराम गुप्ता @ श्री सियाशरण गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड वॉल्यूम नं. 5822, डॉक्यूमेंट नं. 7728, दिनांक 18.03.2011 रजिस्टर्ड सब/जॉइंट रजिस्ट्रार डबरा (म.प्र.) के अनुसार चतुर्सीमाएं- पूर्व में- देवेन्द्र सिंह विक्रेता भूमि, पश्चिम में- खेत रावत, उत्तर में- भूमि गजेन्द्र सिंह - पुष्पेन्द्र सिंह, दक्षिण में- 10 फीट रास्ता (कच्चा) (डी) साम्य बंधक व्यवसायिक संपति, क्षेत्रफल 0.260 हेक्टेयर स्थित ग्राम मगरौरा. पटवारी हल्का नं. 50, सर्वे नं. 556, 553/3 का भाग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर-475110, श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी श्री राधेश्याम गुप्ता एवं श्री राकेश भूटानी पुत्र श्री मोहन लाल भूटानी के नाम, रजिस्टर्ड सेल डीड वॉल्यूम नं. 5833, डॉक्यूमेंट नं. 7954, दिनांक 28.03.2011 रजिस्टर्ड सब/जॉइंट रजिस्ट्रार डबरा (म.प्र.) के अनुसार चतुर्सीमाएं- पूर्व में- विक्रेता देवेन्द्र सिंह की भूमि, पश्चिम में- राधेश्याम गुप्ता व अन्य की भूमि, उत्तर में- पुष्पेन्द्र रावत की भूमि, दक्षिण में- 10 फीट रास्ता (कच्चा)	10/ 10/ 2025 / 03/ 01/ 2026	7,02,00,000/- (रु. सात करोड़ दो लाख मात्र)	70,20,000/- (रु. सत्तर लाख, बीस हजार मात्र)	7,00,000/- (रु. सात लाख मात्र)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया, नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. पीएसबी एलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल https://ebkray.in अथवा https://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 8291220220 या क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर मोबा. 9109132851 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 03-08-2026, स्थान : ग्वालियर (म.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)